राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार – 2018"

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं (उपखण्ड अधिकारी) आमेट जिला–राजसमंद
पीठासीन अधिकारी :– श्री कालूराम खौड आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या. 160/2017
किस्म :– प्रार्थना–पत्र
दायर दिनांक : 27.09.2017

निर्णय दिनांकः 11.06.2018

1. मु. चांदी बेवा मोहनदास जाति वेरागी निवासी जाटिया खेडा तहसील आमेट जिला राजसमंद

......................प्रार्थीया

–:बनाम:–

1. श्री शंकरदास पिता गोपीदास जी जाति बैरागी निवासी जाटिया खेडा तहसील आमेट, जिला राजसमंद
2. श्री लक्ष्मणदास पिता गोपीदास जी जाति बैरागी निवासी जाटिया खेडा तहसील आमेट, जिला राजसमंद
3. श्रीमती गीताबाई पिता गोपीदास जी जाति बैरागी निवासी जाटिया खेडा तहसील आमेट, जिला राजसमंद
4. श्रीमती प्रेमीबाई पिता गोपीदास जी जाति बैरागी निवासी जाटिया खेडा तहसील आमेट, जिला राजसमंद
5. श्रीमती अणछीबाई पिता गोपीदास जी जाति बैरागी निवासी जाटिया खेडा तहसील आमेट, जिला राजसमंद
6. श्रीमती कैलाशबाई पिता गोपीदास जी जाति बैरागी निवासी जाटिया खेडा तहसील आमेट, जिला राजसमंद
7. श्रीमती जम्मुबाई बेवा गोपीदास जी जाति बैरागी निवासी जाटिया खेडा तहसील आमेट, जिला राजसमंद
8. श्रीमती धापुबाई बेवा गोपीदास जी जाति बैरागी निवासी जाटिया खेडा तहसील आमेट, जिला राजसमंद
9. श्री राधाकिशन मुतबन्ना मोहनदासजी जाईन्दा पुत्र हीरादास जी जाति वेरागी निवासी जाटिया खेडा तहसील आमेट जिला राजसमंद
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आमेट जिला राजसमंद

......................**अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.ए.

प्रार्थीया की ओर से :– अधिवक्ता श्री आर.एल.रावत
अप्रार्थीगण की ओर से :– –

:: निर्णय ::

प्रार्थीया द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत कर संक्षेप में निवेदन किया कि मौजा ग्राम धनोली पटवार हल्का पनोतिया तहसील आमेट जिला राजसमंद में वर्तमान खाता संख्या 11 पुराना 10 में आराजी नम्बर 1361, 1362, 1364, 1366, 1370, 1374, 1375 कुल खसरा 7 रकबा 1.7300 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 9 पुराना 9 के आराजी नम्बर 1365 रकबा 0.0400

d

हैक्टेयर स्थित है। उक्त वर्णित कृषि भूमियो में प्रार्थीया को अपने पति एवं ससुर से भूमिया प्राप्त हुई। उक्त भूमियो का नामान्तरकरण दोलदास की मृत्यु होने पर प्रार्थीया के पति मोहनदास व विपक्षीगण संख्या 1 से लगायत 8 के पिता गोपीदास के नाम पर नामान्तरकरण खुला लेकिन गोपीदास प्रार्थीया के पति व उसके ससुर के जीवनकाल मे ही गोपीदास हिन्दू उत्तराधिकार एव दत्तक ग्रहण अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार हिन्दू विधि के तहत विपक्षी संख्या 1 से लगायत 8 के पिता गोपीदास जी श्री भजनदास जी कोई आल औलाद नही होने से गोद चले गये, हिन्दू विधि मे यह स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी हिन्दू यदि दत्तक ग्रहिता के पिता के यहा गोद पुत्र के रूप में चला जाता है तो उसके वास्तवित पिता के परिवार से उसकी मृत्यु मानी जाती है व दत्तक ग्रहिता के पिता में उसका जन्म माना जाता है। व दत्तक दाता अर्थात गोपीदास के वास्तविक पिता दोलदास की चल अचल सम्पति में किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा शेष नही रहता है। इसलिये उपरोक्त वर्णित आराजीयान में प्रार्थीया का ही हक हिस्सा रहता है। उपरोक्त वर्णित आराजीयान में 1/2 हिस्से का नामान्तरकरण गोपीदास की मृत्यु के बाद उसके वारीशान के नाम खोला गया वह कानून विधि एवं सिद्धान्तो के प्रतिकुल है। प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया मामला होकर सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में है एवं अपूर्णिय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीया के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि विपक्षीगण के विरूद्ध इस प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि उपरोक्त वर्णित आराजीयान में विपक्षी संख्या 1 से लगायत 8 स्वयं अथवा अन्य किसी से बाधा रूकावट हस्तक्षेप अतिक्रमण कारित नही करे ना ही यह भूमिया आगे किसी को अन्तरण करे न ही रहन बय बक्षीस करे एवं विपक्षी संख्या 10 के समक्ष उनके समक्ष नामान्तरण हेतु कोई कार्यवाही पेश होवे तो भूमिया आगे अन्तरित जरिये नामान्तरण नही करावे, रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे इस हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा से विपक्षीगण को पाबंद करावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 20.12.2017 को अप्रार्थी 8 व 9 को अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये।

दौराने कार्यवाही पत्रावली लोक अदालत केम्प पनोतिया में प्रस्तुत हुई। प्रार्थीया स्वयं अप्रार्थी संख्या 1, 7 उपस्थित हुए। अप्रार्थीगण संख्या 2, 3, 4, 5, 6 की तामिल जरिये रजिस्टर्ड द्वारा सूचना दिनांक 27.09.17 दी गई किन्तु 30 दिन से भी अधिक समय के पश्चात भी अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4, 5, 6 अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रकरण मे प्रार्थीया अधिवक्ता के कथन को सुना गया। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर इस संबध में मूल वाद न्यायालय में विचाराधीन है तब तक विपक्षीगण को पाबंद किया जाना न्यायोचित समझता हूं।

a

:: आदेश ::

उक्त विवेचन के आधार प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रथम दृष्टिया साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है की अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक मौजा ग्राम धनोली पटवार हल्का पनोतिया तहसील आमेट जिला राजसमंद में वर्तमान खाता संख्या 11 पुराना 10 में आराजी नम्बर 1361, 1362, 1364, 1366, 1370, 1374, 1375 कुल खसरा 7 रकबा 1.7300 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 9 पुराना 9 के आराजी नम्बर 1365 रकबा 0.0400 हैक्टेयर में रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें एवं अन्य किसी को बैचान नही करे।

(कालूराम खौड)
पीठासीन
अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड
अधिकारी आमेट
जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी लोक-अदालत उपखण्ड अधिकारी आमेट

निर्णय आज दिनांक **11.06.2018** को केम्प कोर्ट पनोतिया ''अटल सेवा केन्द्र'' पर आदेश सुनाया गया ।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आमेट, जिला-राजसमन्द

पीठासीन
अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड
अधिकारी, आमेट
जिला राजसमद

पीठासीन अधिकारी लोक-अदालत उपखण्ड अधिकारी आमेट